GOSSNER EVANGELICAL – LUTHERAN CHURCH IN CHOTANAGPUR AND ASSAM

GELC ARCHIVE

Signature: **GELC-A _ 001 _ 0727**

Classification:

Original File No: 4 - E

Title

Jubilee High School Govindpur

Volume:

Running **from year: 1977** **till year:**

Content:

- Letter from H.M. Jubilee High School, Govindpur to the Secretary S.E. Anchal Education Board, khunti, Concerning his Payment also reply letter to him for his subsistance allowance.
- Defence letter from H.M. against his Suspension.

KSS-4.E.

Ambassador

FLAT-FILE

CAMBRIC

SUPERIOR QUALITY

File No. 4-E.

Name Jubilee High School Govindpur

Subject ____________

Serial Nos. ____________ **to** ____________

From 1977 **to** 1977

Year ____________ **19** ____________

14-5-77

No. 11/77.

From : Philip Topno , H.M.
Jubilee H.S.Govindpur (Ranchi.)

To
The Secretary,
S.E.Anchal Education Board, G.E.Church,
Khunti.

Govindpur, the 13th. May 1977.

Ref : Payments to Shri Philip Topno.

sir,

I ha ve to send you the copies of the school Chairman's letter no. 202/77 dt. 4.5. 77 and school Secretary's letter no. 31/77 dt. 12.5.77 (attached herewith) under reference with the following remarks :

1. That the S.E.Anchal Education Board on 2.4.77 did not consider my suspension matter as it had become subjudice on 15.2.77 as per resolution. Hence any action of the M.C. in the matter thereafter became invalid.

2. That I withdrew the title suit no. ~~15/77~~ 19/77 dt. 15.2.77 from the court. I am still in suspension and this matter is to be considered in the Board meeting of 24.5.77 .

3. That the Chairman directed the Secretary to pay me my subsistance allowance for march and april 77 vide his letter mentioned above.

4. That the Secretary refused to comply with the Chairman's a bove letter vide his letter no. 31/77 dt. 12.5.77 . It is a case of indecipline. He has no right to disobey the chairman.

5. That the Secretary's statement that I was

no more the headmaster of the Schoolfrom 18.3.77 is senseless, irresponsible and unauthorative. It is also jealous . The Secretary as such has no right to lose the prestige of the Hea d of the institution.

Under the above circums-tances I beg to request you for the following :

A. That the Secretary of the school be re-directed (with necessary documents.) to immediately pay me my subsistance allowance for March & April 77 on-words . The copy of the same be forwarded to me also.

B. That the deciplinary action be taken against the Secretary for the items 4 and 5 above.

Yours faithfully,

[signature] 13/5/77

(Philip Topno.)

Copy to 1.Chairman
Jubilee H.S. Govindpur.

2.Secretary, S.E.Anchal
samitt ee. G.E.L.Church Khunti

3.The Pramukh Adhyaksha,
G.E.L. Church Ranchi.

4.Sub Divisional Education Officer, Khunti

5.District Eduaation Officer,
Ra nchi.

6.Secretary Jubilee H.S.Govindpur

for information and needful.

True copy.

No. 31/77.

From
The Secretary,
Jubilee High school ,Govindpur.
P.O.Govindpur .
Dist.Ranchi.

To
The Chairman,
Jubilee High school Govindpur.
Govindpur, the 12th. May 1977.

subject : Reply of the letter no. 202/77 dt.4.5.77

Sir,

I am herewith submitting the extract of the M.C. dt. 3.3.77 item no. 5 Las t Para . It was unanimously resolved. That (i) Mr. P.Topno (Suspended Headma-ster) is discha-rged from his Post from 18.3.77.

(ii)Mr. P. Topno.(suspended Hea dmaster) is discharged from his post from 18.3.77 subject to the approval of the K.S.S.G.E.L.Church,Ranchi.

The minutes Dt. 3.3.77 has been unanimously confirmed by the M.C. held on 30 .3.77 and as such Mr. P.Topno is no more the Headmaster of the Jubilee High school ,Govindpur from 18th. March, 1977 he is entitled to get his last subsistance allowance from 1.3.77 to 17.3.77 only. The subsistance allowance for 1st. March 77 to 17th. March, 1977 amounting to Rs.165.40 was offered to Mr. P.Topno on 27.4.77 . He received the subsistance allowance , made his signature on the acquitt-ance roll. Agter few hours of this, he refused the amounthe had received, to the peon and he himself crossed his name and amounts entered on the acquitta nce roll with ink though he is not authorised to pass any kind of remarks in the acquitta nce regis ter.He did not put his signature even for the cuttings done by him inthe acquittance roll. Mr. P.Topno has done unlawful and unpleasa nt deeds.

Yours faithfully,

sd. L. Topno 12.5.77
Secretary.

Certified
[signature] 13/5/77
(P.Topno)

copy to Mr.P.Topno,Govindpur

True Copy

THE

Gossner Evangelical Lutheran Church In Chotanagpur & Assam

South East Anchal.

Rev. N. Bhuinya, Adhyaksh.
Rev. C.B. Aind, Up-Adhyaksh.
Sri H. Soy Secretary,
Sri S. Bage, Treasurer.

Office, G.E.L. Church Kadma
P.O. Khunti
(Ranchi)

Ref. No. 202/77

Dated 4.5.1977.

To

The Secretary,

Jubilee High School, Govindpur,

Subject:- Subsistance Allowance of Sri Philip Topno, Headmaster, (Suspended)

Dear Sir,

It is known to me that the subsistance allowance of Sri Philip Topno, Headmaster (Suspended) has not been paid for March and April, 1977. Please give his subsistance allowance for above two months.

Thanking you.

Yours faithfully,

4.5.77

Sd./- N. Bhuinya,

Chairman

Jubilee High School,

Govindpur,

verified
[signature]
13/5/77
(P. Topno)

Copy to:-

Sri P. Topno, Headmaster (Suspended)

प्रेषक - श्री पी. तोपनो (प्रधानाध्यापक (निलम्बित)
सुरीली उच्च विद्यालय, गोविन्दपुर (राँची)

सेवा में - सचिव, जी. ई. एल. चर्च, [illegible] आश्रम, [illegible] (राँची)

द्वारा - ~~सचिव~~ सचिव, आंचल शिक्षा बोर्ड, जी. ई. एल. चर्च, [illegible] (राँची)

गोविन्दपुर, दि० 31 जनवरी 66

विषय - सुरीली उ० वि० गोविन्दपुर की प्रबन्ध समिति की अनियमित कार्रवाइयों का कारण उसे भंग कर तदर्थ समिति गठन करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मेरे पत्रांक — दिनांक 22-1-66 के क्रम में मैं विद्यालय पत्रांक 3/सी/66 दि० 19-1-66 एवं विद्यालय सचिव का पत्रांक — दिनांक 18-1-66 की प्रतिलिपियाँ आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेज रहा हूँ।

आपका विश्वासी,
~~[signature]~~ [signature] 31/1/66
(पी. तोपनो, प्र. अ. (निलम्बित)
सुरीली उ. वि. गोविन्दपुर (राँची))

<u>प्रतिलिपि</u>

प्रेषक - प्रधानाध्यापक, सुरीली उच्च विद्यालय, गोविन्दपुर (राँची)

~~प्रेषक~~ सेवा में - सचिव, सुरीली उच्च विद्यालय, गोविन्दपुर (राँची)

गोविन्दपुर, दिनांक 19-1-66

विषय - सचिव के पत्रांक 1 सी/66 दि. 16-1-66 के सम्बन्ध में

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपका पत्र मिला। जेनरैल के आदेश से आपने निलम्बन पत्र मुझे दिया है। मुझे निलम्बन पत्र उन्हीं से मिलना चाहिए। इसके अभाव में मैं अभी आपको चार्ज देने में असमर्थ हूँ।

जेनरैल से निलम्बन पत्र मिलने पर मैं आपको चार्ज दे दूँगा।

ऐसी स्थिति में मैं विद्यालय में कार्य करने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे आज अपराह्न के लिए अवकाश दें तथा दिनांक 18-1-66 से 22-1-66 तक के लिए आकस्मिक अवकाश देने की कृपा करें।

प्रतिलिपि - जेनरैल, सुरीली उ० वि० गोविन्दपुर (राँची)

आपका विश्वासी,
ह० पी. तोपनो
प्रधानाध्यापक, सुरीली उच्च विद्यालय, गोविन्दपुर (राँची)

<u>ह० पू० उ०</u>

प्रतिलिपि

सेवा में - प्रधानाध्यापक - उर्सुलीन हाई स्कूल, गोविन्दपुर

दि० १२-१-६६

महाशय,

उर्सुलीन हाई स्कूल के सचिव ने आपको १८-१-६६ से निलम्बन करने की नोटिस दे दिई है। आप विद्यालय का चार्ज विद्यालय के सचिव को दे देवें।

आपका विश्वासी,
ह० एम मुईना दि० १२-१-६६
अध्यक्ष, चेयरमैन, उर्सुलीन हाई स्कूल, गोविन्दपुर

प्रतिलिपि समर्पित —

१ - जिला शिक्षा पदाधिकारी, राँची
२ - अ० प्र० शिक्षा पदाधिकारी, खूँटी (राँची)
३ - अध्यक्ष, [illegible] डी० [illegible], खूँटी (राँची)
४ - प्रबंधकारिणी, स्कूल एवं विद्यालय, पी० यू० [illegible], खूँटी (राँची)
५ - शिक्षा पदाधिकारी, [illegible] राँची
६ - मैनेजर, भारतीय स्टेट बैंक, खूँटी (राँची)

आपका विश्वासी,
[signature] ३/१/६६
(पी० तोपनो, प्र० अ० निलम्बित)
उर्सुलीन हा० वि० गोविन्दपुर (राँची)

प्रेषक - श्री पी. तोपनो, प्रधानाध्यापक (निलम्बित)
जुबिली उच्च विद्यालय, गोविन्दपुर (राँची)

सेवा में - सचिव, जी.ई.एल. चर्च, ध.पु. आंचल, रांची (राँची)

द्वारा - सचिव, आंचल शिक्षा बोर्ड, जी.ई.एल. चर्च, रांची (राँची)

गोविन्दपुर, दि. 2 फरवरी, 66

विषय - जुबिली उ. वि. गोविन्दपुर की प्रबन्ध समिति की अनियमित कार्यवाहियों के सम्बन्ध में।

महाशय,

मेरे दिनांक 31-1-66 के पत्र के क्रम में आपको सूचित करना है कि विद्यालय सचिव ने दि. 1-2-66 को मेरा 1-12-65 से 18-1-66 तक का वेतन भुगतान कर दिया। उन्हें 18-1-66 को ही वेतन भुगतान करना था। पुनः सूचित करना है कि -

1) नवम्बर 65 तक का वेतन भुगतान 20-12-65 को हुआ। सचिव के पास वेतन राशि रहते हुए भी, जिसमें शिक्षकों का अंशदान भी सम्मिलित है उन्होंने आज तक अप्रैल 65 से नवम्बर 65 तक का मेरी तथा किसी भी अन्य शिक्षक की भविष्य निधि डाकघर में जमा नहीं कराया है। यह अनुचित है।

2) दि. 1-2-66 को सचिव ने सिर्फ मेरा 1-12-65 से 18-1-66 तक का वेतन भुगतान किया। उन्हें अन्य शिक्षकों का भी वेतन भुगतान 1-12-65 से 31-1-66 तक का करना चाहिए था सो उन्होंने नहीं किया। यह न्यायसंगत नहीं है।

3) मेरी निलम्बनावस्था में दि. 1-2-66 को नियमानुसार मुझे 19-1-66 से 31-1-66 तक का निर्वाह भत्ता (आधा वेतन) भी भुगतान कर देना चाहिए था। परन्तु ऐसा न कर उन्होंने धाँधली किया।

4) पुनः मेरा वेतन भुगतान 1-12-65 से 18-1-66 तक का मेरा अंशदान काट कर किया गया जिसका भी उन्होंने आज तक मेरा भविष्य निधि डाकघर में नहीं जमा किया है। इसमें भी धाँधली किया।

अतः आपसे प्रार्थना है कि इतना ~~[illegible]~~ प्रबन्ध समिति को भंग कर तदर्थ समिति का गठन की जाय।

आपका विश्वासी
[signature] 2.2.66

प्रतिलिपि प्रेषित - 1- जिला शिक्षा पदाधिकारी, राँची।
2- अ.प्र. शिक्षा पदाधिकारी, रांची, राँची।
3- शिक्षा पदाधिकारी, जी.ई.एल. चर्च, राँची

(पी. तोपनो, प्र.अ. (निलम्बित)
जुबिली उ. वि. गोविन्दपुर
(राँची))

प्रेषक- श्री पी. तोमर, प्रधानाध्यापक (निलम्बित)
म्युनिसिपल उच्च विद्यालय, गोविन्दपुर (रांची)

सेवा में - सचिव, श्री ई. एम. वर्मा, ए.म्यू. मंडल, स्यूटर (रांची)

द्वारा - सचिव, मंडल विद्यालय, श्री ई. एम. वर्मा, स्यूटर (रांची)

गोविन्दपुर, दि. 22 जनवरी 66

विषय- म्युनिसिपल हाई स्कूल-गोविन्दपुर की प्रबन्ध समिति की अनियमित कार्यवाहियों के कारण उसे भंग कर नई समिति गठित करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विद्यालय के पत्रांक [illegible] दि. 28-11-66 के क्रम में आपको सूचित करता हूँ कि विद्यालय समिति के सचिव ने अपने पत्रांक 1 दिनांक दि. 16-9-66 द्वारा मुझे 16-9-66 से निलम्बित किया है। इस सम्बन्ध में कहना है कि जब दि. 15-12-66 की बोर्ड बैठक में मेरे उपर्युक्त पत्र पर विचार कर जांच समिति बनायी गई तो जांच होने के पूर्व ही सचिव द्वारा मेरा निलम्बन सर्वथा अनुचित है।

इसके अतिरिक्त उक्त निलम्बन पत्र में दिए गये कुछ बिन्दुओं पर भी क्रमशः प्रकाश डालना चाहता हूँ।

क्र० 1- इसमें लिखा है कि 26-10-66 की प्र. समिति मुझे 16-9-66 से निलम्बित करती है। इस पर कहना है कि 26-10-66 को ही मुझे को निलम्बित नहीं किया गया और निलम्बन की अवधि बीत जाने पर किया गया। इसके अतिरिक्त भूत 16-9-66 से ही निलम्बित करने का निर्णय होना भ्रामक है। अतः सचिव द्वारा मेरा निलम्बन अन्यायपूर्ण है।

क्र. 3- इसमें लिखा है कि मुझे निलम्बन तिथि प्रारम्भ होने की तिथि तक का पूरा वेतन भुगतान कर दिया गया। किन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज तक मेरा उपर्युक्त वेतन भुगतान नहीं किया है। अतः सचिव का यह कार्य कपटपूर्ण है।

क्र. 6- इसमें लिखा है कि श्री हरि सिंह सहायक शिक्षक दि. 16-9-66 अपराह्न से अस्थायी प्रधानाध्यापक रहेंगे। इस पर कहना है कि दि. 26-10-66 ही की प्र. समिति में ऐसा निर्णय होना भ्रामक है। पुनः कहना है कि सचिव ने उपर्युक्त निलम्बन पत्र मुझे 16-9-66 को साढ़े ग्यारह बजे दिया। अतः सचिव का यह कार्य अनुचित एवं उनकी अयोग्यता का द्योतक है।

कृ. पृ. उ.

क्र०६- इसमें लिखा है कि मैं १५ दिनों के अन्दर अपनी सन्तोषजनक कैफियत सचिव को दूँ अन्यथा प्रबन्ध समिति मेरी सेवा समाप्त करने के लिए बाध्य होगी। इस पर कहना है कि इस प्रकार का निर्णय करना या लिखना प्र० समिति के अधिकार के बाहर है। यह बिहार क्रिश्चियन धार्मिक अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए स्वीकृत संविधान की धारा ३-३, ५, vii का उल्लंघन करना है। इस धारा के अनुसार मेरी सेवा समाप्त करने का अधिकार एक मात्र सी० ई० एम० चर्च की मनोनीत सभा ही को प्राप्त है।

क्र०८ - इसमें लिखा है कि मेरी निलम्बनावस्था में रेव० एम० तोपनो, विद्यालय सचिव, बैंक एकाउन्ट का सिंगल ओपरेटर रहें। इस पर कहना है कि उक्त संविधान की धारा ९-६, ख २ ग iii, के अनुसार प्र० समिति का कोई भी सदस्य बैंक एकाउन्ट का सिंगल ओपरेटर नहीं हो सकता है। यह भी उक्त संविधान का उल्लंघन है। किसी भी दशा में संयुक्त ओपरेटर ही हो सकते हैं। अतः इस प्रकार का दोषपूर्ण निर्णय विद्यालय सचिव की स्वार्थपरता के कारण हुआ।

अतः आपसे आग्रह है कि उपर्युक्त बिन्दुओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर यथाशीघ्र मेरी निलम्बनावस्था को समाप्त कर मुझे पूर्व स्थिति में लाने तथा प्र० समिति को भंग कर तदर्थ समिति गठन करने की कृपा करेंगे।

आपका विश्वासी,
[signature] २५।९।८६
(पी० तोपनो, प्र० अ० निलम्बित)

प्रतिलिपि समर्पित -
१- जिला शिक्षा पदाधिकारी, राँची जुबिली उ० वि० गोविन्दपुर (राँची)
२- अ० प्र० शिक्षा पदाधिकारी, खूँटी (राँची)
३- अध्यक्ष, द० पू० मंडल, सी० ई० एम० चर्च, खूँटी (राँची)
४- प्रबंधक, [illegible] विद्यालय, द० पू० मंडल, खूँटी (राँची)
५- शिक्षा पदाधिकारी, सी० ई० एम० चर्च, राँची।
६- मैनेजर, भारतीय स्टेट बैंक, खूँटी (राँची)

सच्ची प्रतिलिपि

कदमा बूँटी

दिनांक १५-१-७७

सचिव ,

जु बिली उच्च विधालय गोविन्दपुर .

महाशय ,

२७-१०-७६ के प्रबन्धक कमिटी ने प्रधनाधयापक के निलम्बन के विषय निर्णय ले चुका है . यह निर्णय मिनिट में है इसलिये प्रधनाधयापक को निलम्बन की नौटिस दे देवें क्योंकि यह तो कमिटी की ओर से निर्णय किया हुआ बात है .

आप का विश्वस्त

ह ० एन ० में मुंड्या

१५-१-७७

~~अधयक्ष~~ अधयक्ष

चेयरमैन जु बिली हाई स्कूल

गोविन्दपुर

Attested.

[signature]

17/1/77.

सचिव,

जुबली उच्च विद्यालय.

गोविन्दपुर डा० जि०रांची

NO 1

प्रेषक – ~~चेयरमैन~~ सचिव, प्रबन्ध समिति,
जुबिली उच्च विद्यालय, गोबिन्दपुर । दिनांक १० जनवरी १९७७ ।

प्रेषित – प्रधानाध्यापक,
जुबिली उच्च विद्यालय, गोबिन्दपुर ।

महाशय,

दिनांक २७–१०–७६ की प्र० समिति ने आप के विषय निम्न निर्णय पारित किया है दिनांक २७–१०–७६ के आईटम न० ५–प्रधानाध्यापक श्री पी०तोपनो का सेवा कार्य से निलम्बन–उपरोक्त आईटम ५(क) के उपखंड १–१३ तथा कार्यक्रम सं० ३ के (१) और (२) के आधार पर सर्वसम्मति से प्र० स० निम्न निर्णय पारित करती है –

१) प्रधानाध्यापक श्री फिलिप तोपनो को आज की प्रबन्धक समिति आदेश विलक दिनांक १७–१–७७ से निलम्बित करती है ।

२) श्री पी०तोपनो प्रधानाध्यापक को उपरोक्त सारे लिखित चार्जेस निलम्बन तिथि के एक सप्ताह के अन्दर दिया जाय ।

३) श्री पी०तोपनो को निलम्बन तिथि प्रारम्भ होने की तिथि तक का पूरा वेतन भुगतान कर दिया जाय ।

४) श्री पी०तोपनो की निलम्बनावस्था में श्री एस०सोय विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक नियुक्त किये जायें ।

५) वि० सचिव, श्री पी०तोपनो से विद्यालय का सारा कार्यभार लेकर श्री एस०सोय प्रभारी प्रधानाध्यापक को हस्तान्तरित करें ।

६) श्री एस०सोय, सहायक शिक्षक दिनांक १७–१–७७ अपराह्न से प्रभारी प्रधानाध्यापक रहेंगे ।

७) श्री पी०तोपनो प्र० अध्यापक १५ दिनों के अन्दर उपरोक्त चार्जों से मुक्ति प्राप्ति निमित्त अपनी संतोषजनक कैफियत सचिव को देवें अन्यथा प्रबन्ध समिति प्रधानाध्यापक की सेवा समाप्त करने के लिये बाध्य होगी ।

८) श्री पी०तोपनो की निलम्बनावस्था में एम०एल०तोपनो, विद्यालय सचिव बैंक एकाउन्ट का सिंगल ओपरेटर रहें अत: सम्बन्धित अधिकारियों को इसकी सूचना दी जाय ।

९) प्रधानाध्यापक श्री पी०तोपनो के निलम्बन की सूचना विभाग को अविलम्ब दी जाय ।

ह० एम०एल० तोपनो (सचिव)
26.10.76

अत: उपर्युक्त निर्णय के आधार पर आप को दिनांक १७–१–७७ से विद्यालय की सेवा से निलम्बित किया जाता है । आप विद्यालय का सारा कार्यभार सचिव को दे दें ।

चेयरमैन का आदेश सलग्न है

प्रतिलिपि:–

१) जिला शिक्षा पदाधिकारी रांची को सूचनार्थ समर्पित
२) अनुमंडलीय शिक्षा पदाधिकारी खूंटी को ,,
३) बड़े अध्यक्ष, जी०ई०एल० चर्च खूंटी को समर्पित
४) पर्यवेक्षक, लुथरान स्कूल रांची को समर्पित
५) इडुकेशन बोर्ड जी०ई०एल० चर्च रांची को समर्पित
६) मनेजर स्टेट बैंक खूंटी को सूचनार्थ समर्पित ।
७) श्री एस सोय, स० शि०, जु० उ० वि० गोबिन्दपुर

M.L.Topno
17/1/77
सचिव,
जुबली उच्च विद्यालय,
गोबिन्दपुर डा० जि० रांची

सच्ची प्रतिलिपी

कखरा खूंटी

दिनांक १५-१-७७

सचिव,

जुबिली उच्च विद्यालय गोविन्दपुर.

महाशय,

२८-१०-७६ के प्रबन्धक कमिटी ने प्रधानाध्यापक के निलम्बन के विषय निर्णय ले चुका है. यह निर्णय मिनिट में है इसलिये प्रधानाध्यापक को निलम्बन की नोटिस दे देवें क्योंकि यह तो कमिटी की ओर से निर्णय किया हुआ बात है.

आप का विश्वस्त

ह० एन.ई. मुंडा

१५-१-७७

~~[illegible]~~ अध्यक्ष

[illegible] जुबिली हाई स्कूल

गोविन्दपुर

Attested
[signature]
17/1/77.
सचिव,
जुबिली उच्च विद्यालय,
गोविन्दपुर डा० जि० रांची

Edn. Sopr.
GEL Church Ranchi

KSS-4E

12-8-73 पत्रांक 63/63

प्रेषक - सचिव,
जुबिली उच्च विद्यालय

सेवा में - सेक्रेटरी,
जी.ई.एल चर्च प्रोपर्टी बोर्ड, राँची।

द्वारा - सेक्रेटरी, जी.ई.एल चर्च प्रोपर्टी कमीटि, गोविन्दपुर
गोविन्दपुर दि० 8 ~~जुलाई~~ अगस्त 63

विषय - विद्यालय के लिए छः एकड़ जमीन एलाट करने के सम्बन्ध में।

महाशय, शिक्षा विभाग के आदेशानुसार इस विद्यालय के नाम छः एकड़ जमीन होना चाहिए। अतः इस विद्यालय की प्रबन्ध समिति के निर्णय सं 2-892 दि० 16-6-63 के अनुसार आप से अर्जी है कि इस विद्यालय के नाम छः एकड़ जमीन एलाट करके कागजात विद्यालय को सौंप देने का कष्ट करेंगे।

आपका विश्वासी,
8/8/73

अग्रिम प्रति - सेक्रेटरी, जी.ई.एल चर्च प्रोपर्टी बोर्ड, राँची

सचिव,
जुबिली उच्च विद्यालय,
गोविन्दपुर ... राँची।

(मुहर: जुबिली उच्च विद्यालय गोविन्दपुर (राँची))

प्रतिलिपि

सेवा में;

प्रधान सचिव महोदय,
जुबिली उच्च विद्यालय, गोबिन्दपुर।

K88-H.E.

प्र० 18.9.68

महाशय,

सविनय नम्र निवेदन है कि हम जुबिली उच्च विद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को गत माह जुलाई 1968 से अब तक का वेतन नहीं मिला है। परिणाम स्वरूप हमारी हालत अति सोचनीय हो गई है। विद्यालय प्रबन्धक समिति की ओर से माह सितम्बर तक कम से कम दो महिनों का वेतन भुगतान करने का आश्वासन भी मिला था किन्तु खेद है कि अभी तक हमलोगों का वेतन भुगतान नहीं मिला है।

आप से नम्र निवेदन है कि शीघ्रातिशीघ्र हमलोगों का वेतन भुगतान किया जाय। इसके लिए हम आप को आभारी रहेंगे।

आप का विश्वस्त

दिनांक- 18 सितम्बर 1968। शिक्षक एवं कर्मचारीगण

सही/-
1 – Mr. S. Soy
2 – " A Singh
3 – " R. J. Singh
4 – " Y. P. Singh
5 – " N. N. Jha
6 – " E. Xaxa
7 – Mrs H. Horo
8 – Mr. M. B. Horo
9 – " S. Horo
10 – " A. Topno

प्रतिलिपि - श्री एन. ई. होरो
सदस्य, प्रबन्धक जुबिली
उच्च विद्यालय, गोबिन्दपुर।